

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 41 / 2024

दायर दिनांक : 26 / 06 / 2024

निर्णय दिनांक : 19 / 12 / 2024

उनवान

1. बालीबाई पत्नि टोलीराम खटीक निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायणसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी राणावतों की हवेली तहसील भूपालसागर
2. राजेंद्र सिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी राणावतों की हवेली तहसील भूपालसागर
3. लक्ष्मण सिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी राणावतों की हवेली तहसील भूपालसागर
4. गणपत सिंह पुत्र केसरसिंह राजपूत निवासी राणावतों की हवेली तहसील भूपालसागर
5. भंवरसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत निवासी राणावतों की हवेली तहसील भूपालसागर
6. बाबूलाल पिता मांगीलाल खटीक निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम कांकरवा प० ह० कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के आराजी न०/खसरा सं० 1705 रकबा 0.03 है०, आराजी न० 1700 रकबा 0.19 है० आराजी न० 1702 रकबा 0.40 है० आराजी न० 1703 रकबा 0.42 है० आराजी न० 1704 रकबा 0.27 है० आराजी न० 1698 रकबा 0.43 है० आराजी न० 1699 रकबा 0.42 है० आराजी न० 1701 रकबा 0.40 आराजी न० 1706 रकबा 0.04 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय धावत तहसीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

